क्र.टीएम/सी/3-93/11/31 2004-05 04.03.2010

परिपत्र

दि शिप ओनर्स/एजंटस्/कंटेनर ऑपरेटर्स,
दि इंपोर्टर्स/एक्सपोर्टर्स
सचिव,
मुंबई और न्हावा शेवा शिप एजेंटस् असोसिएशन
सचिव,
बॉम्बे कस्टम हाऊस एजेंटस् असोसिएशन
अध्यक्ष,
कंटेनर शिपिंग लाइन्स असोसिएशन
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
अध्यक्ष,
दि असोसिएशन ऑफ मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया

महोदय,

विषय : मुंबई पोर्ट में कंटेनरों की स्टफिंग/डिस्टफिंग को दी जानेवाली रियायती बॉक्स दरों की अवधि बढाना.

संदर्भ : दिनांक 5.3.2009 का क्र.टीएम/सी/3-93/11/37 वर्ष 04-5.

उपरोल्लिखित परिपत्र के जरिये कंटेनरों की स्टफिंग और डिस्टफिंग के लिए क्रमशः 2600/- रुपये और 2800/- रुपये प्रति टीइयू की दर से लागू रियायती समेकित बॉक्स दरों की अवधि दिनांक 10.3.2010 तक बढायी गयी थी. यह रियायती बॉक्स दरें दो अलग प्रभारों के लिए, अर्थात स्टीवीडोअरिंग एवं पोर्ट कामगारों की आपूर्ति के लिए लगायी गई थी. उसकी पुनरीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि उक्त रियायती बॉक्स दर दिनांक 11.3.2010 से आगे और छः महीनों तक या नया दर-मान लागू होने तक, जो भी पहले हो, जारी रखा जाय.

2.	मुंबई पोर्ट में कंटेनरों की स्टफिंग/डिस्टफिंग की बॉक्स दर निम्नानुसार होगी :

रियायती बॉक्स दर

कंटेनर का आकार	रियायती बॉक्स दर	
	स्टफिंग	डिस्टफिंग
20’ तक लंबाईवाले कंटेनर	2600 रु.	2800 रु.
20’ से 40’ तक की लंबाईवाले कंटेनर	5200 रु.	5600 रु.
40’ से अधिक लंबाईवाले कंटेनर	7800 रु.	8400 रु.

3.	उपरोक्त रियायती बॉक्स दरें दिनांक 10.9.2010 तक या नया दर-मान लागू होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेंगी.

4.	आपसे अनुरोध है कि आप अपने सदस्यों में इसे व्यापक प्रसिद्धि दें और उन्हें उपरोक्त रियायतों का लाभ उठाने को कहें.

भवदीय,

(मो.ब.इ. काझी)
उप गोदी प्रबन्धक (सामान्य)